



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA

सन्तर्भ संख्या: AWADHUUNI/सं/ 12024

AYODHYA-224001

दिनांक: 20/07/2024

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उपरोक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुमति एवं कार्यपरिपत्र की अनुमति (दिनांक 20/07/2024) से CHITBAHAL ATULANJANEY MAHILA MAHAVIDYALAY PURANPUR AMBEDKAR को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1. BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	EDUCATION
2. BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	ENGLISH LITERATURE
3. BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	GEOGRAPHY
4. BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HOME SCIENCE
5. BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HINDI LITERATURE
6. BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	SANSKRIT
7. BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	SOCIOLOGY

विषयों में स्वीकृत/प्रतिष्ठित योजना/सन्तर्भ संख्या 2024-2025 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- सैद्धिक सन् 2014-20 के परीक्षाफल के अभिप्रेत से सन् 2024-2025 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सन् 2014-20 के परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सन् 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/संस्तर-2-2003-16(82)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आदेश का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।

4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिधिमन्त्री/अधिनियम में शर्तित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही विमर्शानुसार की जायेगी।

5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बंधित विश्वविद्यालय परिनिधिमन्त्री/अध्यक्ष एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संयोजन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/संस्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2016 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के आवास/कार्यालय।
2. विद्यार्थी सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग, "उ-प्र" शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ambedkar Nagar, मऊ।
4. प्रमुख, CHITBAHAL ATULANJANEY MAHILA MAHAVIDYALAY PURANPUR AMBEDKAR को इस आदेश से प्रेषित कि सम्बद्धता आदेश में शर्तित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, CHITBAHAL ATULANJANEY MAHILA MAHAVIDYALAY PURANPUR AMBEDKAR, Ambedkar Nagar।
6. कुलसचिव काशी।
7. सम्बन्धित पत्रवाही।

कुल सचिव
2

कुल सचिव
2